सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

**पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :– 73 / 2014**

**बउनवान**

1– उर्मिला आयु 38 साल पुत्री श्री गुलाबचन्द्र जाति मीणा निवासी दडा तहसील अटरू
2– पपूडी आयु 36 साल पुत्री श्री गुलाबचन्द्र जाति मीणा निवासी दडा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

**(अपीलांटगण)**

**बनाम**

1– सुशीला बेवा श्री बृजमोहन जाति मीणा हाल पत्नि अशोक जाति मीणा निवासी आमापुरा तहसील अटरू जिला बारां
2– सरोज आयु 3 साल पुत्री श्री बृजमोहन जाति मीणा नाबालिग जरियेवली माता सुशीला हाल पत्नि श्री अशोक जाति मीणा निवासी आमापुरा तहसील अटरू जिला बारां
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां

**(रेस्पोडेन्टगण)**

**अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 304 दि. 10.12.2010**

उपस्थिति :– 1. श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक ( अपीलांट )
अनुपस्थित :– 2. श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक ( रेस्पोडेन्ट )

## निर्णय दिनांक 17.07.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 304 दिनांक 10.12.2010 वाके ग्राम दडा से अप्रसन्न होकर विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 29.09.2014 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये, प्रकरण मे दिनांक 9.7.2019 से अनुपस्थित रहने पर प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

**अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि** अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा आराजियात वाके ग्राम दडा से सम्बंधित इन्तकाल संख्या 304 दिनांक 10.12.2010 को गलत रूप से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के नाम खोला गया है जबकि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 खातेदार बृजमोहन की मृत्यु के बाद से ही श्री अशोक कुमार पुत्र श्री चम्पा लाल जाति मीणा निवासी आमापुरा तहसील अटरू से नाता विवाह कर लिया है तथा अभी वर्तमान में भी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बतोर पत्नि अशोक के साथ ग्राम आमापुरा में निवास कर रही है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा कोई गोर न करते हुये रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के साथ रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम भी उक्त इंतकाल खोल दिया गया है, जबकि मीणा जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है।

अपीलांट क्रम 1 व 2 के भाई बृजमोहन की मृत्यु होने के बाद ही रेस्पोडेन्ट क्रम 1 अपनी पुत्री सरोज को अपने साथ लेकर अशोक पुत्र श्री चम्पा लाल जाति मीणा आमापुरा तहसील अटरू के यहॉ नाते बैठ गयी है। अभी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बतोर पत्नि अशोक के साथ निवास कर रही है तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है। बृजमोहन की मृत्यु के बाद से उक्त आराजियात पर अपीलान्टस ही काबिज काश्त है तथा वर्तमान में काबिज काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के हित स्वतः ही समाप्त हो चुके है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा खोला गया इंतकाल संख्या 304 दिनांक 10.12.2010 विधि विरूद्ध व सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा खोला गया इंतकाल नं0 304 दिनाक 10.12.2010 निरस्त फरमाया जावे।

हमने अपीलांटगण के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 304 दिनांक 10.12.2010 वाके ग्राम दडा तहसील अटरू तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। उक्त इंतकाल मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत दडा द्वारा जारी किये जाने की दिनांक 10.12.2010 के आधार पर श्री बृजमोहन पुत्र गुलाबचन्द जाति मीणा की मृत्यु दिनांक 5.11.2010 के 1 माह 6 दिवस के अन्दर दिनांक 10.12.2010 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक बृजमोहन की पत्नि रेस्पो. क्रम 1 सुशीला एवं रेस्पो. क्रम 2 ना.बा. पुत्री सरोज के नाम खोला गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट यह साबित करने मे विफल रहे है कि क्या उक्त इंतकाल के तस्दीक किये जाने के समय मृतक बृजमोहन की पत्नि सुशीला एवं ना.बा. पुत्री सरोज ग्राम दडा मे ही निवास करती थी। साथ ही अपीलांट के विद्वान अभिभाषक यह भी साबित करने मे असफल रहे है कि क्या मृतक बृजमोहन की पत्नि इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व अशोक मीणा के साथ नाते गई थी अथवा विवादित इंतकाल तस्दीक करने के उपरांत ? साथ ही यदि नाते के उपरांत भी इंतकाल तस्दीक किया जाता तो उक्त इंतकाल को विधि शून्य माने जाने हेतु क्या राजस्व विभाग से कोई निर्देश प्रसारित हुए है अथवा किसी अभिलेख न्यायालय द्वारा उक्त संबंध मे कोई निर्णय पारित हुआ है अथवा वर्तमान मे किसी विधि के प्रवर्तन अनुसार विवादित इंतकाल को शून्य माना जावे ? चूंकि वादी अपने वाद का स्वामी होता है। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत अपील की ताईद मे कोई भी विधिक तथ्य प्रस्तुत करने मे विफल रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये फौती इंतकाल मे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप अपीलांटगण द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। यदि अपीलांटगण असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

**( सुदर्शन सिंह तोमर )**
**अति0 जिला कलक्टर, बारॉ**